संख्या- 93/2015 / 629 ई-1/तेरह-2015-499 (29)/91 टी0सी0

प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-1 **लखनऊ:: दिनांक :: 14 अक्टूबर, 2015**

विषय :- वेतन समिति (2008) के नवम प्रतिवेदन भाग-2 में राजकीय विभागों के पुस्तकालय कर्मचारी/अधिकारी संवर्ग के सम्बन्ध में की गई संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-ए 404/चार-ए-1(459), दिनांक 09 अप्रैल, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "वेतन समिति (2008) द्वारा राजकीय विभागों के पुस्तकालय कर्मचारी/अधिकारी संवर्ग के सम्बन्ध में की गई संस्तुतियों पर शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-2060/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 08 सितम्बर, 2010 में लिये गये निर्णयानुसार आबकारी विभाग के अन्तर्गत मुख्यालय पर स्थापित पुस्तकालय को श्रेणी-3 में वर्गीकृत होने के आधार पर पुस्तकालयाध्यक्ष पद के वेतनमान वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 ग्रेड वेतन रू0 2800 के स्थान पर वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 ग्रेड वेतन रू0 4600 दिनांक 08 सितम्बर, 2010 से स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में उक्त पद को स्नातकोत्तर उपाधि के साथ पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक उपाधि या पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ स्नातक उपाधि एवं डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 (नीलिट) द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर संचालन में "ओ लेबल का प्रमाणपत्र की अर्हता धारियों से लोक सेवा आयोग के माध्यम से शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा।

3- उपर्युक्त संशोधित वेतनमान में सम्बन्धित कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-841/दस-2009-59(एम) 2008, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 एवं सपठित शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-577/दस-59(एम) 2008, दिनांक 29 जून, 2010 के अनुसार किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- वे0आ0-1/827/दस-15 दिनांक 07-10-2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सुनील कुमार पाण्डेय
उप सचिव।

http://sansadeshan.nic.in

संख्या-93/2015 (1) 629 (1) ई-1/तेरह-2015-499(29)/91 टी0सी0 तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
3. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
5. वित्त (व्यय-आयोग) अनुभाग-1/2
6. वित्त (सामान्य) अनुभाग-1
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार पाण्डेय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।**

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।